Financial institutions dealing in trading on stock exchanges

1024. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the names of the financial institutions which deal in trading on stock exchanges in India as brokers and jobbers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विदेशी ऋण की स्थिति

1025. डा. अबरार अहमद खान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश पर कितना विदेशी ऋण है और माह नवम्बर, 1989 के दौरान यह ऋण कितना था ;

(ख) नवम्बर, 1989 से पूर्व आठ महीनों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के विदेशी दौरे पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी और नवम्बर, 1989 के बाद गत आठ महीनों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के विदेशी दौरे पर पर अब तक कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ; और

(ग) गत आठ महीनों के दौरान भारत के व्यापार घाटे की स्थिति क्या रही है और इससे हमारे विदेशी मुद्रा के भंडारों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) 31-3-90 की स्थिति के अनुसार देश पर कुल विदेशी बकाया ऋण, प्रचलित मुद्रा विनिमय की दर पर 80,132 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । इस वित्तीय वर्ष की आंशिक अवधि के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्वीकृति के लिए लम्बित राजस्थान से प्राप्त परियोजनायें

1026. डा० अबरार अहमद खान: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनायें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं और उनकी अनुमानित लागत क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित कर दिये जाने की संभावना है ;

(ख) पानी के बंटवारे से संबंधित ऐसे अन्तर्राज्यीय विवादों का ब्यौरा क्या है जिनमें राजस्थान अन्तर्ग्रस्त है और इन विवादों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है और इससे राजस्थान को कितना पानी मिलेगा ; और

(ग) 1 दिसम्बर से 31 जुलाई, 1990 तक गत आठ महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान की कौन-कौन सी परियोजायें अनुमोदित की हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) परियोजनाओं के नाम उनकी अनुमानित लागत तथा मूल्यांकन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है । **(नीचे देखिए)**

(ख) अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान के हिस्से से संबंधित कोई विवाद केन्द्र में लंबित नहीं है ।

(ग) सिद्धमुख तथा नहर परियोनाओं की अनुमानित लागत क्रमश: 103 करोड़ रुपये तथा 40.59 करोड़ रुपये हैं ।